रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937
No. 649] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015 /CHAITRA 6, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

का.आ. 870(अ).—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देती है कि-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 29, 32ख, 32ग, 32घ, 64ग, 64घ, 64ङ., 64च, 64छ, 64ज, 64झ, 64ञ, 64ट, 64ठ, 64ड, 64ढ, 64ण, 64द, धारा 64 यूएलए की उप-धारा (2), धारा 101क, 101ख, 105ख, 110च, 118 और धारा 120 में अंतर्विष्ट उपबंध धारा 2(ग) की उप-धारा (1) के खंड (ग) में यथा उल्लिखित भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसायटी या एक कारपोरेट निकाय होने के कारण इन बीमाकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे।

(ख) धारा 2ग की उप-धारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसायटी या कारपोरेट निकाय होने के कारण खंड (क) में उल्लिखित धारा से भिन्न सभी धाराएं बीमाकर्ता पर लागू होंगी।

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (य क) में यथा परिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार करना।

[फा. सं. 14017/98/2014-बीमा-II]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2015

S.O. 870(E).— In exercise of the powers conferred by Section 2CA of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby directs that-

(a) the provisions contained in Sections 29, 32B, 32C, 32D, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64J, 64K, 64L, 64M, 64N, 64-O, 64R, sub-section (2) of Section 64 ULA, Sections 101A, 101B, 105B, 110F, 118 and Section 120 of the said Act shall not apply to an insurer, being an Indian Insurance Company, insurance co-operative society or a body corporate referred to in clause (c) of sub-section (1) of Section 2C;

(b) all sections other than those mentioned in clause (a) shall apply to an insurer, being an Indian Insurance Company, insurance co-operative society or a body corporate referred to in clause (c) of sub-section (1) of Section 2C, carrying on the business of insurance in any Special Economic Zone as defined in clause (za) of Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

[F. No. 14017/98/2014-Ins. II]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.